कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्राशि. / पंविप / गोप / सैनिक परीक्षा / 2025 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा – 2026 (सत्र–2025–26)

(ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा–निर्देश)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2024–25 की अनुपालना एवं शासन के पत्रांक : पं4(1)शिक्षा–5 / 2024(राजकाज20758), जयपुर दिनांक : 21.10.2025 (राजकाज रेफरेन्स आई.डी. नं. – 18423259) के क्रम में सत्र 2025–26 के लिए प्रथम चरण में राजस्थान राज्य के जिला सीकर व जिला बीकानेर के बालिका सैनिक स्कूलों हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक–08.03.2026 को आयोज्य है शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए बालिकाओं को उच्च प्रतिष्ठित सैन्य विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के निष्पादन उपरान्त चयनित बालिकाओं को उक्तानुसार जिला बीकानेर व जिला सीकर के बालिका सैनिक विद्यालयों में प्रवेश दिये जायेगें :–

1. राज्य बजट घोषणा वर्ष 2024–25 में यथा घोषित अनुसार राज्य में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन के क्रम में प्रथम चरण में 05 संभाग स्तरीय बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना एवं घोषणा वर्ष 2025–26 में द्वितीय चरण में 03 बालिका सैनिक स्कूल एवं 01 सैनिक स्कूलों सहित (कुल 08 बालिका सैनिक स्कूल एवं 01 सैनिक स्कूल) की स्थापना के क्रम में शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए निम्न सारणी में उल्लेखित अनुसार जिला सीकर एवं जिला बीकानेर के बालिका सैनिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु उल्लेखित रिक्तियों (बिन्दु संख्या 2 की सारणी में दिये विवरण अनुसार) को भरने के लिए दिनांक–08.03.2026 में एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

WhatsApp channel

2. प्रवेश हेतु विद्यालयों में रिक्तियां :–

क्र.स.	विद्यालय का नाम	सीटों की संख्या
1.	"पूज्या रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल, जयमलसर, बीकानेर **NIC CODE-533311**	80
2.	महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल, सीकर **NIC CODE-533312**	80

3. बालिका की पात्रता :–

(अ) बालिका को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। (विद्यार्थी का स्वयं का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।) प्रवेश में आरक्षण राजकीय नियमानुसार देय होगा।

(ब) बालिका राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय / मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025–26 में कक्षा 5 में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए।

(स) बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025–26 हेतु शैक्षिक सत्र 2025–26 में कक्षा –5 में अध्ययनरत बालिका के भाग लेने के उपरान्त संबंधित बालिका के अन्तिम रूप से चयन हेतु अनिवार्य पात्रता यह होगी कि बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु आयोज्य परीक्षा (जिस किसी भी नाम से अभिहित हो) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **(शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु अध्ययनरत कक्षा–5 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)**

(द) बालिका अभ्यर्थी के चयन उपरान्त विद्यालय में प्रवेश से पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में निर्धारित मानदण्ड अनुसार पात्र / योग्य पाये जाने के उपरान्त ही अंतिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों का विस्तृत विवरण चयन परीक्षा उपरान्त अलग से जारी किया जायेगा।

(य) प्रवेश परीक्षा उपरान्त संबंधित विद्यालय में चयन हेतु बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–2026 में राजस्थान राज्य के विद्यालयों से ही कक्षा–5 उत्तीर्ण करने के उपरान्त ऑनलाईन अथवा नियमानुसार ऑफलाईन टी.सी.(स्थानान्तरण प्रमाणपत्र) सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाने के पश्चात् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

RajKaj Ref No.: 19860331

4. आवेदन का प्रस्तुतीकरण :–

(अ) बालिका को अपना आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 12.01.2026 (सोमवार) से ऑनलाईन भरना होगा। आवेदन पत्र विभागीय शाला दर्पण पोर्टल मे वैबलिंक https://rajshaldarpan.rajasthan.gov.in/SD4/StudentApplyHome.aspx के माध्यम से भरना होगा। आवेदन पत्र में बालिका का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (तीन माह से अधिक पुराना न हो) एवं हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगे, अतः बालिका स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट फोटो एवं हस्ताक्षर साथ लेकर आवेदन करे। बालिका ऑनलाईन आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप से, या अध्ययनरत विद्यालय के माध्यम से ऑनलाईन अथवा स्वयं के स्तर पर ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। आवेदन पत्र पर दिये गये समस्त कॉलम्स की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पर फोटो ऑनलाईन प्रविष्ट करने के क्रम में आवेदक बालिका का पासपोर्ट साईज फोटो निम्नानुसार विशिष्टियों का होना आवश्यक है –

- फोटो तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- फोटो का डिजिटल साइज़ 10 kb से 20 kb के बीच होना चाहिए।
- डिजिटल फोटो का एक्सटेंशन –jpg, -jpeg, -png होना चाहिए, कोई दूसरा फाईल फॉर्मेट एक्सटेंशन स्वीकार्य/अनुमत नहीं है।
- डिजिटल फोटो हल्के बैकग्राउंड में रंगीन, स्पष्ट व पासपोर्ट साईज के निर्धारित मानकानुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी अपलोड किये जाने हैं जिनका प्रकार निम्नानुसार होना चाहिए।

आवेदन पर हस्ताक्षरों की ऑनलाईन प्रविष्टि करने के क्रम में आवेदक बालिका के स्पष्ट स्कैन्ड हस्ताक्षरों में निम्नानुसार विशिष्टियों का होना आवश्यक है –

- डिजिटली स्कैन्ड हस्ताक्षरों की इमेज़ का साइज़ 10 kb से 20 kb के बीच होना चाहिए।
- हस्ताक्षरों की डिजिटल इमेज एक्सटेंशन –jpg, -jpeg, -png होना चाहिए, किसी और दूसरा फाईल फॉर्मेट एक्सटेंशन अनुमत नहीं है।
- हस्ताक्षरों की स्कैन्ड इमेज का रिज़ोल्यूशन इस प्रकार हो कि उसकी ज़रूरी ऊँचाई 95 px (pixels) और चौड़ाई 75 px (pixels) हो। न्यूनतम आकार (2cm (ऊँचाई)•2.5 cm(चौड़ाई))।
- हस्ताक्षरों को काले या नीले रंग में सफेद/साफ रंग के हल्के बैकग्राउंड पर स्पष्ट दृश्यता में और उक्तानुसार आकार में होना चाहिए।

(ब) आवेदक ऑनलाईन प्रवेश फॉर्म के लिए दिये गए समस्त दिशा–निर्देशों का अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन करें एवं इनकी पूर्ण पालना करते हुए समस्त वांछित सूचनाओं की प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से करें। भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास एवं एक प्रति अध्ययनरत विद्यालय स्तर पर भी सुरक्षित रखें, आवेदन पत्र को व्यक्तिशः या डाक किसी भी माध्यम से किसी भी कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं करवाएं। शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि – 20.01.2026 को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन का माध्यम ऑनलाईन ही रहेगा, ऑफलाईन आवेदन भरना/जमा करवाना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।

(स) यदि आवेदन पत्र भरते समय या अन्तिम रूप से सबमिशन के समय किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसे ऑनलाईन ही संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। उक्त कार्य के लिए निर्धारित समयावधि दिनांक 21**.01.2026** से 22**.01.2026** तक रहेगी। इसके पश्चात् आवदेक अपने मूल ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेंगे। संशोधन हेतु अनुमत अवधि में भी ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, निवास के पते, जाति एवं आवेदक की मूल श्रेणी/वर्ग इत्यादि सूचनाओं में ही परिवर्तन अनुमत होगा, अतः आवेदक, अभिभावक,संबंधित विद्यालय व ई–मित्र आदि के स्तर पर भी आवेदन पत्र पूर्ण सावधानी से भरकर व जांचकर ऑनलाईन सबमिट किया जावे।

(द) आवेदक को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरते समय प्रमाणस्वरूप किसी भी प्रकार के सहायक दस्तावेज अथवा अभिलेखों की प्रमाणित फोटोप्रतियां/मूल इमेजेज़ इत्यादि संलग्न/अपलोड नहीं करनी है।

(य) बालिका सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरान्त **अन्तिम रूप से चयनित बालिका अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में मूल दस्तावेजों व आवेदनपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से पूर्व अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय के सक्षम अधिकारी से उक्त पात्रता दस्तावेजों के प्रमाणीकरण उपरान्त ही आवंटित विद्यालय में विविधवत् रूप से प्रवेश के पात्र होंगे।** आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार पात्रता दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करके एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय में एवं एक प्रति आवंटित विद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य हैं :–

- सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी/बालिका के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति।
- शैक्षिक सत्र 2025–26 में बालिका के कक्षा–5 परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
- बालिका द्वारा चयनित व आवंटित विद्यालय के लिए शैक्षिक सत्र 2025–26 में राजस्थान राज्य के किसी भी विद्यालय से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र के साथ संबंधित अध्ययनरत विद्यालय से ऑनलाईन टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) भी जमा करवाना होगा।
- छात्रा का आधार कार्ड/जनआधार कार्ड।

(र) **प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मैरिट अनुसार अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा चयनित उच्च्व प्रतिष्ठित बालिका सैनिक विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जाएगा। इन चयनित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।**

5. प्रवेश पूर्व परीक्षा (पाठ्यक्रम, शुल्क, केन्द्र, आयोजन एवं परिणाम) :–

(अ) प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कक्षा–5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।

(ब) प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन के प्रत्येक विषय को 25 का भारांक देकर कुल 100 अंकों का प्रश्नपत्र दिया जाएगा, प्रश्नपत्र बहुविकल्पात्मक होगा व नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। प्रश्नपत्र हल करने के समयावधि 2.00 घण्टे होगी। उक्त प्रश्नपत्र द्विभाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) में ही मुद्रित होगा।

(स) परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(द) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों को नियमानुसार परीक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करते हुए, उक्त परीक्षा केन्द्रों में करवाया जा सकेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में वीक्षक के रूप में केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा।

(य) बालिकाएं स्वय ं का प्रवेशपत्र ऑनलाईन शाला दर्पण पोर्टल की विभागीय वेबसाईट https://rajshaldarpan.rajasthan.gov.in से अपने आवेदन पत्र के क्रमांक डालकर डाउनलोड करके, प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र की जानकारी दी जावेगी। संबंधित परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करके एवं साथ में आधार कार्ड भी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले कर जाना होगा, प्रवेश पत्र व उक्त दस्तावेज के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(र) प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन दिनांक **08 मार्च 2026 (रविवार)** को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा।

(ल) परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के रूप में ओ.एम.आर. शीट प्रयुक्त की जाएगी।

(व) बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पोर्टल एवं शिक्षा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

6. विद्यालय का आवंटन :–

(अ) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को चयनित विद्यालयों व उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्पों में वर्णित विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर वरीयता अनुसार एक विद्यालय का आवंटन किया जाएगा।

(ब) निदेशालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह की अवधि में पात्र बालिका परीक्षार्थियों के लिए विद्यालय आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। जिसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल वेबसाईट https://rajshaldarpan.rajasthan.gov.in एवं शिक्षा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। उक्त सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय के नोटिस पर भी चस्पा होगी।

(स) पात्र विद्यार्थी/परीक्षार्थी को इस कार्यालय द्वारा उक्त विद्यालय आवंटन सूची में एक बार विद्यालय आवंटित होने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में आवंटित विद्यालय से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में विद्यार्थी/अभिभावक व्यक्तिशः सम्पर्क कर अपने मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण उपरान्त संबंधित पात्र विद्यार्थी को आवंटित विद्यालय में प्रवेश के लिए अन्तिम रूप से पात्र माना जाकर प्रवेश दिया जावेगा।

विशेष : चूंकि संबंधित बालिका की ओर से ऑनलाईन आवेदन के समय किसी प्रकार के दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने हैं, अतः संबंधित कोई भी बालिका अपने आवेदन पत्र में मिथ्या/गलत जानकारी नहीं भरे। ऑनलाईन आवेदन पत्र में वर्णित समस्त डेटा के आधार पर ही विद्यालय आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। अतः केवल आवंटन सूची में संबंधित बालिका का नाम आने के उपरान्त उसकी पात्रता व दस्तावेजों की जांच उपरान्त ही उसे संबंधित आवंटित विद्यालय में प्रवेश अनुमत किया जावेग। विद्यालय आवंटन सूची में नाम होना मात्र ही प्रवेश का आधार नहीं होगा और न ही इसे प्रवेश की दावेदारी का आधार माना जावेगा। बालिका को विद्यालय आवंटन कर देने/संबंधित विद्यालय में प्रवेश के बाद भी विद्यार्थी की पात्रता में किसी प्रकार की कमी उजागर होने पर उसका चयन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। मिथ्या/तथ्य जानकारी देकर प्रवेश का प्रयास करने पर बालिका विद्यार्थी/अभिभावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

(सीताराम जाट)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्राशि./पंविप/गोप/सैनिकपरीक्षा/2025 **दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री (स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राज., उदयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, (संभाग स्तरीय) को प्रभावी प्रबोधन व पर्यवेक्षण हेतु।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
10. सिस्टम एनॉलिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप निदेशक, शाला दर्पण, शिक्षा संकुल, जयपुर।
12. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी शाला दर्पण अनुभाग, निदेशालय मा.शि/प्रा.शि. राजस्थान।
13. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, पी.एस.पी. पोर्टल, निदेशालय मा.शि/प्रा.शि.राजस्थान।
14. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक/माध्यमिक राजस्थान, बीकानेर।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा.शि./प्रा.शि, समस्त को सतत् पर्यवेक्षण एवं उक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों से कार्यवाही सम्पादित करवाने के क्रम में सतत प्रबोधन हेतु।
17. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/निजी/मदरसे/संस्कृत विद्यालय को समयबद्ध रीति से कार्य सम्पादित करने बाबत पालनार्थ।
18. रक्षित पत्रावली।

(सीताराम जाट)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No.:
19860331